

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रधानाध्यापक रा क उ मा विद्यालय हर्वाला देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रधानाध्यापक रा क उ मा विद्यालय हर्वाला देहरादून के माह 04/2013 से 09/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि प्रकाश पाठक व श्री रवींद्र भट, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 01.11.2017 से 06.11.2017 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मक: इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: जिला, देहरादून
- (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(धनराशि ₹ ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14			46.49	46.28	0.13	0.13	0.21	
2014-15	-	-	53.52	53.48	0.45	0.45	0.04	-
2015-16	-	-	63.50	63.36	0.16	0.16	0.14	-
2016-17	-	-	72.57	69.62	0.24	0.18	3.05	-
2017-18			73.41	52.33	0.15	0.06	---	

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति: ---

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:
शून्य

- (iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'सी' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव
महानिदेशक
निदेशक
अपर/उप निदेशक
मुख्य शिक्षा अधिकारी
जिला शिक्षा अधिकारी
खंड शिक्षा अधिकारी
प्रधानाध्यापक

- (iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रधानाध्यापक रा क उ मा विद्यालय हरवाला देहरादून की लेखा परीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित हैं। माह 06/2013,10/2014,09/2016,,06/2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।
- (v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग -2 (अ)

प्रस्तर -1: सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में धनराशि रूपए 12,44,327/- का अतिरिक्त एवं अनियमित भुगतान।

राज्य में छात्र हितों हेतु शैक्षिक सत्र के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से शिक्षकों को सत्रांत लाभ प्रदान कर (यदि कोई शिक्षक, शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के उपरांत सेवानिवृत्त हो रहा हो तो उसे उस गतिमान शैक्षिक सत्र के समापन तक) शैक्षिक सत्र का सफलतापूर्वक समापन कराया जाता है।

शासन द्वारा सत्रांत लाभ के संबंध में निम्न शासनादेश निर्गत किए गए हैं:

1. शासनादेश संख्या 329/XXIV-2/10-09(11)/2008 दिनांक 08/04/2011, प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों/शासन द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों/प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के उपरांत शैक्षिक सत्र के अंत तक सत्रांत लाभ दिये जाने के संबंध में है। जिसमें शैक्षिक संस्थानों में कार्यरत ऐसे अध्यापक/प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य जो शैक्षिक सत्र के मध्य में अधिवर्षिता आयु पूर्ण कर रहे हों, को निम्नांकित शर्तों के आधार पर पूर्व कि भांति सत्रांत लाभ दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है

- 1) सेवा काल में संबंधित अध्यापक /प्राध्यापक/प्रधानाचार्य का कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहा हो तथा कोई प्रतिकूल तथ्य न हो
- 2) शारीरिक एवं मानसिक तौर पर स्वस्थ हो
- 3) वह वास्तव में कोई विषय नियमित रूप से पढ़ाता हो

3. उक्त के संबंध में किसी अध्यापक/प्रधानाध्यापक /प्रधानाचार्य को स्वतः सत्रांत लाभ देय नहीं होगा, अपितु सत्र लाभ लिए जाने हेतु संबंधित कार्मिक द्वारा लिखित सूचना /आवेदन पत्र अपनी अधिवर्षिता आयु की तिथि से तीन माह पूर्व सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा ,तथा ऐसे अधिकारियों को जो अध्यापन के कार्य में बिना किसी विशेष कारण के न लगाया जाए, जिससे उन्हें अनायास ही 31 मार्च तक सेवा में बने रहने का लाभ मिल जाए | शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया की शिक्षा विभाग में श्रेणी -2 से नीचे के पदों पर कार्यरत अध्यापक /प्रधानाध्यापक के सेवा विस्तरण के मामलों पर विचार एवं उपयुक्त निर्णय के लिए संबंधित पद के नियुक्ति अधिकारी सक्षम होंगे तथा शेष के संबंध में शासन की सहमति अपेक्षित होगी

4. उक्त व्यवस्था वित्त विभाग, उत्तराखंड शासन के द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खंड 2 के भाग 2 से 4 के मूल नियम 56(क) में संशोधन के विषय में व्यवस्था निर्गत करने की तिथि से ही लागू होगी।

2. शासनादेश संख्या 848 /xxiv-2/12/9(11)/2008 दिनांक 20 सितंबर 2011 जो की शासनादेश संख्या 329/xxvii-2/11-911/2008 दिनांक 08 अप्रैल 2011 के प्रस्तर -4 के संशोधन से संबंधित है। प्रस्तर 4 में व्यवस्था है कि वित्त विभाग , उत्तराखंड शासन के द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खंड 2 के भाग 2 से 4 के मूल नियम 56(क) में संशोधन के विषय में व्यवस्था निर्गत करने की तिथि से ही लागू होगी।

उक्त प्रस्तर 4 को संशोधित करते हुए कहा गया है कि मूल नियम 56 (क) में वित्त विभाग द्वारा यथासमय संशोधन किया जाएगा।

3. शासनादेश संख्या 376/xxiv-2/12/9(11)/2008 दिनांक 01 जून 2012 जो की शासनादेश संख्या 848 दिनांक 20 सितंबर, 2011 में उल्लिखित शासनादेश संख्या 329/xxvii-2/11-911/2008 दिनांक 08 अप्रैल 2011 के प्रस्तर -3 के सरलीकरण से संबंधित है। प्रस्तर-3 में यह व्यवस्था है कि किसी अध्यापक / प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य को स्वतः सत्रांत लाभ देय नहीं होगा अपितु सत्र लाभ दिये जाने हेतु संबंधित कार्मिक द्वारा लिखित सूचना / आवेदन पत्र अपनी अधिवर्षिता आयु की तिथि से 03 माह पूर्व सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा |

उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 को संशोधित करते हुये राजकीय माध्यमिक विद्यालयों / शासन द्वारा सहायता प्राप्त आशासकीय विद्यालयों / पूर्व माध्यमिक विद्यालयों / प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 01 अप्रैल से 31 मार्च होता है | अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने वाले समस्त अध्यापक / प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य को पूर्ववर्ती शैक्षिक सत्र के अंतिम कार्य दिवस से पूर्व, सत्रांत लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा |

(1) आवेदन पत्र के साथ ही चिकित्सा प्रमाण पत्र साथ में देना अनिवार्य होगा |

(2) शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता का चिकित्सा प्रमाण पत्र सत्रांत लाभ में कार्यभार ग्रहण करते समय भी जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा |

इसके अतिरिक्त वित्त विभाग, उत्तराखंड शासन द्वारा इस संबंध में जून 2012 में अधिसूचना जारी की गयी:

“वित्त विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 07 दिनांक 6/06/2012 के स्तम्भ 2 नियम 56 (क) में स्पष्ट लिखा है की प्रत्येक सरकारी सेवक उस मास में जिसमें वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करे अंतिम दिन अपराहन में सेवानिवृत्त होगा, परंतु यदि किसी

सरकारी सेवक की जन्मतिथि किसी मास के प्रथम दिवस को हो तो वह पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिवस को 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा और ऐसे सरकारी सेवा की सेवानिवृत्ति की तिथि पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिवस को होगी तथा यदि किसी सरकारी सेवक की जन्मतिथि प्रथम तिथि से भिन्न हो तो वह उस मास के पूर्ववर्ती दिवस को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा और उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि उस मास के अंतिम दिवस होगी, परंतु यह और की विद्यालयी शिक्षा विभाग हेतु अधिकतम 11 माह का सेवा विस्तार ऐसे पदों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों को अनुमन्य होगा जो अध्यापन कार्य में निरंतर संलग्न हो, किन्तु श्रेणी 2 से नीचे के पदों पर कार्यरत अध्यापक/प्रधानाध्यापक के सेवा विस्तारण के मामले पर विचार एवं उपर्युक्त निर्णय के लिए संबन्धित पद के नियुक्ति प्राधिकारी सक्षम होंगे तथा शेष के संबंध में शासन की सहमति अपेक्षित होगी, परंतु यह भी की राज्य में संचालित मेडिकल कॉलेजों में संकाय सदस्यों की अधिवर्षिता आयु 65 वर्ष होगी “

उक्त अधिसूचना के क्रम में शासन द्वारा सत्रांत लाभ के संबंध में निम्नलिखित शासनादेश भी जारी किया गया जो निम्नवत है:

शासनादेश संख्या- 208/xxiv-नवस्रजित/2017-09(11)/2008 दिनांक 3.08.2017 के अनुसार राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के उपरान्त सत्रांत लाभ के संबंध में अधिसूचना संख्या-07/xxvii(7)54/2012 दिनांक 06.06.2012 में स्थापित व्यवस्था स्वतः स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त सत्रांत की अवधि में सेवानिवृत्तिक लाभ एवं वार्षिक वृद्धि हेतु गणना में नहीं लिया जाएगा और न ही उपार्जित अवकाश हेतु इसकी गणना की जाएगी।

साथ ही यहाँ यह भी ध्यातव्य है की शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या -885/xxiv - 2/2005 दिनांक 29.08.2005 के माध्यम से “राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त बेसिक/माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को 2 वर्ष का अतिरिक्त सेवा विस्तार का लाभ “(जो की शिक्षण के क्षेत्र में विशिष्ट एवं उत्कृष्ट योगदान/अध्यापन करने वाले शिक्षकों को प्राप्त होता है) संबंधी शासनादेश में स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया है की अतिरिक्त सेवा की अवधि का लाभ सेवानिवृत्तिक लाभ के लिए अनुमन्य नहीं होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुद्रपुर, देहरादून के कर्मचारियों/अधिकारियों जो कि लेखापरीक्षा अवधि के अंतर्गत अथवा उसके निकट भविष्य में सेवानिवृत्त हुए/होने वाले हैं से संबन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि श्रीमती कलावती पांथरी, प्रधानाध्यापिका (सेवानिवृत्त) जिनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2015 थी को शैक्षिक सत्र 2015-16 हेतु निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखंड ननूरखेरा देहरादून के

आदेश संख्या -सेवाए-1/374/2(3) स ला -2/2015-16 दिनांक 27/07/2015 के माध्यम से सत्रांत (31/3/2016) तक सेवा विस्तार प्रदान किया गया था, जिसमें शासन द्वारा निर्गत आदेशो यथा शासनादेश संख्या 329 दिनांक 3/04/2011 , 848 दिनांक 20/09/2011 एवं 376 दिनांक 1/06/2012 के अधीन सेवानिवृत्ति (अधिवर्षिता) आयु प्राप्त करने के उपरांत सत्रांत हेतु सेवा विस्तार दिया गया है।

श्रीमती कलावती पांथरी, प्रधानाध्यापिका (सेवानिवृत्त) को देय सेवानिवृत्तिक लाभों (यथा- पेंशन, उपादान, राशिकरण, अवकाश नगदीकरण, जीपीएफ आदि जो कि अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति पर आगणित किए जाते हैं) के अभिलेखो मे पाया गया कि उक्त अधिकारी/कर्मचारी को प्राप्त होने वाले समस्त सेवानिवृत्तिक लाभ उनकी अधिवर्षिता आयु की दिनांक 31.07.2015 के आधार पर आगणित न करके, सत्रांत हेतु सेवा विस्तार तक की अवधि दिनांक 31.03.2016 को सेवानिवृत्ति लाभों की गणना मे प्रयुक्त कर किए गए थे। जिसके फलस्वरूप उक्त कर्मचारी को समस्त सेवानिवृत्तिक लाभ (यथा- पेंशन, उपादान, राशिकरण, अवकाश नगदीकरण) हेतु निम्नानुसार धनराशि रुपये 12,44,327/-¹ का अतिरिक्त भुगतान किया गया जो कि नियम विरुद्ध है । (जिसकी सम्पूर्ण गणना संलग्नक - 1 मे दी गयी है)

इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्तिक लाभों के संदर्भ मे जीपीएफ लेखे एवं अर्जित अवकाश संबंधी लेखो की जांच मे पाया गया की श्रीमती कलावती पांथरी, प्रधानाध्यापिका के जीपीएफ मासिक अभिदान की कटौती अधिवर्षिता आयु की तिथि से 6 माह पूर्व बंद कर दी गयी है न की सेवा विस्तार की अवधि से, इसी प्रकार अर्जित अवकाश की गणना भी अधिवर्षिता आयु तक ही की गयी है न की सेवा विस्तार की अवधि तक और उक्त दोनों का भुगतान भी अधिवर्षिता तिथि के अनुसार ही किया है जिससे स्पष्ट है की अधिवर्षिता आयु के आधार पर ही सेवानिवृत्तिक लाभों का भुगतान किया जाना चाहिए था न कि अधिवर्षिता के उपरांत सेवा विस्तार की अवधि को सेवानिवृत्ति लाभों मे गणना मे प्रयुक्त करके। जिस प्रकार अर्जित

¹ पेंशन(pension) - प्रतिमाह 14,535/- का अतिरिक्त भुगतान दिनांक 1.04.2016 से लेखापरीक्षा अवधि 09/2017 तक (1.04.2016 से 30.09.2017 तक 18माह)= 133 * 18 == 2,394/-

उपादान(gratuity) = 2,82,050/-

राशिकरण (commutation) = 9,33,964/-

अवकानगदीकरण (leave encashment)= 19,019/-

अतिरिक्त वेतन वृद्धि = 6,900/-

कुल अतिरिक्त भुगतान = 12,44,327/-

अवकाश एवं जीपीएफ़ के संदर्भ में किया गया है। अतः अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों - पेंशन, उपादान, राशिकरण आदि के लिए किया गया समस्त अतिरिक्त भुगतान नियम विरुद्ध है। उक्त अनियमित भुगतान धनराशि रूप 12,44,327/- के संदर्भ में इकाई से पूछे जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार किया एवं बताया गया की समस्त सेवानिवृत्ति लाभ अधिवर्षिता की आयु पर ही दिये जाने चाहिये थे तथा समस्त भुगतान तत्कालीन प्रधानाध्यापिका के द्वारा स्वयं किए गए साथ ही यह भी बताया गया की अर्जित अवकाश का लेखा अधिवर्षिता आयु तक ही रखा जाता है एवं इसी प्रकार जीपीएफ़ की कटौती अधिवर्षिता आयु से पूर्व बंद कर दी जाती है एवं दोनों का भुगतान अधिवर्षिता तिथि के अनुसार ही किया गया है न की सेवा विस्तार की अवधि को सम्मिलित करके। अतः धनराशि रूप 12,44,327/- के अनियमित एवं अतिरिक्त भुगतान का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -2 (अ)

प्रस्तर 2- अपात्र को नियमविरुद्ध सत्रांत लाभ अनुमन्य कर धनराशि रुपए 17.92 लाख की शासकीय क्षति ।

“वित्त विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 7(54) दिनांक 06.06.2012 के अनुसार सत्रांत लाभ केवल उन्ही व्यक्तियों को अनुमन्य होगा जो निरंतर अध्यापन कार्य मे संलग्न हो एवं उपरोक्त संदर्भित शासनादेशों के अनुसार ऐसे अधिकारियों को जो अध्यापन का कार्य न कर रहे हो ,उनको सेवा के अंतिम वर्ष मे अध्यापन के कार्य मे बिना किसी विशेष कारण के न लगाया जाए जिससे उन्हे अनायास ही 31 मार्च तक सेवा मे बने रहने का लाभ मिल जाए ।”

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हर्वाला देहरादून के कर्मचारियों/अधिकारियों जो कि लेखापरीक्षा अवधि के अंतर्गत अथवा उसके निकट भविष्य मे सेवानिवृत्त हुए/होने वाले है से संबन्धित अभिलेखो की लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया की श्रीमती कलावती पांथरी, प्रधानाध्यापिका (सेवानिवृत्त) जिनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2015 थी को शैक्षिक सत्र 2015-16 हेतु निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखंड ननूरखेरा देहरादून के आदेश संख्या - सेवाए-1/374/2(3) स ला -2/2015-16 दिनांक 27/07/2015 के माध्यम से सत्रांत (31/3/2016) तक सेवा विस्तार प्रदान किया गया था, जिसमे शासन द्वारा निर्गत आदेशो यथा शासनादेश संख्या 329 दिनांक 3/04/2011 , 848 दिनांक 20/09/2011 एवं 376 दिनांक 1/06/2012 के अधीन सेवानिवृत्ति (अधिवर्षिता) आयु प्राप्त करने के उपरांत सत्रांत हेतु सेवा विस्तार दिया गया है।

विद्यालय की सत्रांत लाभ संबंधी पत्रावलियों मे पाया गया की निदेशालय, मध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड ननूरखेड़ा देहरादून के पदस्थापन/संशोधन आदेश संख्या सेवाए-1/1209/2(3) पदो./2014-15, दिनांक 06.02.2015 के आदेश के क्रम मे श्रीमती पांथरी, प्रवक्ता संस्कृत की संशोधित पदस्थपाना रा ई का गुजराड़ा से रा क उ मा विद्यालय मे प्रधानाध्यापिका के पद पर हुई थी जिसके अनुपालन मे उन्होने दिनांक 10.02.2015 को अपराहन मे रा क उ मा विद्यालय मे प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।

आगे सत्रांत संबंधी आवेदन पत्रावली की जांच मे पाया गया कि श्रीमती पांथरी द्वारा सत्रांत हेतु दिनांक 13.02.2015 को सत्रांत हेतु आवेदन किया, आवेदन पत्र मे उनके द्वारा सत्रांत चाहने के कारण मे कोई भी विकल्प नहीं दिया गया और न ही किस विषय हेतु सत्रांत लाभ मांगा गया है उसका कोई उल्लेख है।

साथ ही विद्यालय में स्वीकृत शिक्षकों के पद संबंधी पत्रवालों कि जांच में पाया गया कि विद्यालय में किसी भी विषय का पद रिक्त नहीं था।

श्रीमती पांथरी को अनुमन्य सत्रांत नियम विरुद्ध है एवं अनुचित है क्योंकि

1. उनके द्वारा सत्रांत हेतु किसी विषय का उल्लेख नहीं किया गया।
2. विद्यालय में किसी भी विषय का पद रिक्त नहीं था
3. उनके द्वारा सत्र 2014-15 में रा क उ मा विद्यालय हर्वाला में किसी भी विषय का अध्यापन नहीं किया गया
4. उनके द्वारा उक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के केवल दो कार्य दिवस के भीतर सत्रांत हेतु आवेदन किया गया था जिससे परिलक्षित होता है कि इसमें कहीं भी छात्र हित न होकर व्यक्तिगत हित सन्निहित है।

इस ओर इकाई का ध्यान आकृष्ट करने पर इकाई द्वारा बताया गया कि श्रीमती पांथरी द्वारा द्वारा स्वयं आवेदन को अग्रसारित कर स्वीकृति हेतु उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया गया और सत्रांत लाभ पाया जो कि अभिलेखों से प्रमाणित है ।

इकाई के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि श्रीमती पांथरी तत्कालीन प्रधानाध्यापिका द्वारा व्यक्तिगत हित हेतु न की छात्र हित हेतु, अनुचित और नियम विरुद्ध तरीके से सत्रांत लाभ हेतु आवेदन कर सत्रांत लाभ पाया गया, साथ ही साथ सत्रांत लाभ अनुमन्य करने वाले सक्षम प्राधिकारियों/विभाग की घोर लापरवाही एवं शिथिलता से भी इंकार नहीं किया जा सकता जिस कारण उनको सत्रांत तक कि अवधि में किए हुए समस्त भुगतान धनराशि रूप में 5,48,125/- (माह अगस्त 2015 से अप्रैल 2016 तक किया गया भुगतान) (अगस्त से दिसम्बर 2015 तक=3,15,025 एवं जनवरी 2016 से मार्च 2016 तक=2,33,100) तथा सत्रांत तक कि अवधि को सेवानिवृत्तिक लाभों कि गणना में प्रयुक्त करते हुए किए गए सभी सेवानिवृत्तिक लाभों हेतु किए भुगतान धनराशि रूप में 12,44,327/- अनियमित एवं अनुचित है।

अतः अपात्र को नियम विरुद्ध अनुचित लाभ प्रदान कर धनराशि रूप में 17.92 लाख की शासकीय क्षति का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-॥ 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-॥ 'ब' प्रस्तर संख्या
	प्रथम लेखापरीक्षा	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V**आभार**

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रधानाध्यापक रा क उ मा विद्यालय हर्षावाला देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-
शून्य

2. सतत् अनियमितताएं: शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्रीमती सरोज किमोठी	प्रधानाध्यापिका	09.09.2016	31.07.2011
2.	श्रीमती सुमित्रा रयाल	प्रधानाध्यापिका	01.08.2011	09.01.2015
3.	श्रीमती उमा नौटियाल	प्रधानाध्यापिका प्रभारी	10.01.2015	09.02.2015
4.	श्रीमती कलावती पांथरी	प्रधानाध्यापिका	10.02.2015	31.03.2016
5.	श्रीमती उमा नौटियाल	प्रधानाध्यापिका प्रभारी	01.04.2016	06.05.2016
6.	श्रीमती शांति नबियाल	प्रधानाध्यापिका	07.05.2016	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्रधानाध्यापक रा क उ मा विद्यालय हर्षावाला देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जायं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सामाजिक क्षेत्र